गरमा मौसम, 2024-25 में विभिन्न फसलों के बीज अनुदानित दर पर उपलब्धता से संबंधित सूचना

सभी किसान भाइयों एवं बहनों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग द्वारा बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से गरमा मौसम, 2024–25 की विभिन्न योजनाओं में गरमा फसलों के बीज अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

इच्छुक किसान अनुदानित दर पर विभिन्न गरमा फसलों यथा– मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, सूर्यमुखी, संकर मक्का, स्वीट कार्न एवं बेबी कार्न आदि के बीज प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in या बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल brbn.bihar.gov.in पर बीज हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 05 मार्च, 2025 तक कर सकते हैं। किसान सुविधा अनुसार किसी Android Mobile/Computer/ कॉमन सर्विस सेन्टर / वसुधा केन्द / साईबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

गरमा, 2024–25 में ऑनलाईन आवेदन हेतु उपलब्ध फसलों के बीज एवं देय अनुदान दर तालिका

क्र0	फसल का नाम	बीज की कोटि	योजना का नाम	अनुमानित मूल्य (रू. प्रति कि0ग्रा0)	कार्यक्रम / घटक में अनुदान की विवरणी
1	स्वीट कार्न	प्रमाणित	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	2712.00 से 3000.00	मूल्य का 50% या रू0 1500 / कि0ग्रा0 में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।
2	बेबी कार्न	प्रमाणित		712.00 से 950.00	मूल्य का 50% या रू0 500 / कि0ग्रा0 में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।
3	मूंग	प्रमाणित	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना)– दलहन	149.00	मूल्य का 80% या रू0 117.20 / कि0ग्रा0 में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।
4	उड़द	प्रमाणित		175.00	मूल्य का 80% या रू0 144.00 / कि0ग्रा0 में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।
5	मूंगफली	प्रमाणित	खाद्य तेल–तेलहन (कृषोन्नति योजना)	114.00	मूल्य का 80% या रू0 103.60 / कि0ग्रा0 में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।
6	तिल	प्रमाणित		240.00	मूल्य का 80% या रू0 204.00 / कि0ग्रा0 में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।
7	सूर्यमुखी	संकर		650.00	मूल्य का 80% या रू0 519.52 / कि0ग्रा0 में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।
8	संकर मक्का	संकर	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना)– कोर्स सिरियल	160.00 से 370.00	मूल्य का 50% या रू0 100.00 / कि0ग्रा0 में जो न्यूनतम हो अनुदान देय होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि: 05 मार्च, 2025

किसानों के घर तक बीज पहुँचाने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था है। ऑनलाईन आवेदन में होम डिलीवरी का विकल्प चयनित करने वाले किसानों के घर तक सशुल्क बीज पहुँचाया जायेगा। किसान को होम डिलीवरी में बीज आपूर्ति होने पर 5.00 रू0 प्रति कि.ग्रा. की दर से अलग से भुगतान करना होगा।

कृषि विभाग के DBT पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in / बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल brbn.bihar.gov.in पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदन जाँचोपरान्त कृषि समन्वयक द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को भेजेंगे। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत करने के पश्चात सॉफ्टवेयर से किसान को इसकी सूचना निबंधित मोबाईल पर प्राप्त होगी। संबंधित किसान निर्दिष्ट बीज विक्रेता को अपना डिमांड नं0 बताकर बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन (Bio-Metric Authentication) के उपरान्त अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान कर बीज प्राप्त करेंगे।

किसान अपने निकटतम कृषि समन्वयक / प्रखंड कृषि पदाधिकारी / अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क कर कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ ले सकते हैं।

PR No.- 0175532 (Agriculture)O. 2024-25

कृषि निदेशक